

हाइब्रिड वाहनों को भी ईवी की तर्ज पर मिलेगी सब्सिडी

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की तरह ही हाइब्रिड वाहनों (पेट्रोल व बैटरी दोनों पर चलने वाली गाड़ियां) पर भी सब्सिडी देगी। शासन पर इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं।

दरअसल, यूपी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों को अक्टूबर 2024 तक सब्सिडी देने का एलान कर रखा है लेकिन सब्सिडी के लिए जो धनराशि आवंटित की गई है, वह खत्म नहीं होगी। ऐसे में हाइब्रिड वाहनों को भी सब्सिडी के दायरे में लाने पर विचार किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में हाइब्रिड कारें, ई कारों की तुलना में काफी महंगी हैं। इन पर कोई सब्सिडी योजना भी लागू नहीं है। परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि बीते छह नवंबर को सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाइब्रिड वाहनों को भी सब्सिडी के दायरे में लाने की अनुमति दे दी है। हालांकि अभी तक हाइब्रिड वाहनों का डाटा वाहन पोर्टल पर फेच नहीं हो रहा है। एनआईसी इस पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब जल्द ही हाइब्रिड वाहन भी सब्सिडी के दायरे में आएंगे।

कैबिनेट ने बीते अक्टूबर में ईवी

शासन स्तर पर की जा रही तैयारी, जल्द मिलने लगेगा अनुदान

सड़क परिवहन मंत्रालय ने दी अनुमति, वाहन पोर्टल पर हो रहा काम

पांच साल में ईवी की बिक्री ढाई से तीन गुना तक बढ़ी

पिछले पांच साल में ईवी की बिक्री ढाई से तीन गुना तक बढ़ चुकी है। वर्ष 2019 में 29 दोपहिया वाहन पंजीकृत हुए थे, जो इस साल बढ़कर 2,474 तक पहुंच चुकी है। पिछले पांच साल में लखनऊ में 39,933 ईवी पंजीकृत और 4,57,161 नॉन ईवी पंजीकृत हुए हैं। अकेले अक्टूबर में ही लखनऊ में 639 ईवी पंजीकृत किए गए।

विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 को मंजूरी दी थी। इसके तहत पहले दो लाख दोपहिया ईवी पर पांच हजार रुपये, पहले 50 हजार ईवी वाहन की खरीद पर 12 हजार रुपये और पहले 25 हजार चारपहिया ईवी वाहनों की खरीद पर एक-एक लाख रुपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।